संख्या–वे0आ0–2– 567 / दस–59(एम) / 2010 टी0सी0

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : ०9 जून, 2010

विषयः–पुनरीक्षित वेतन संरचना में एच0ए0जी0 वेतनमान में पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण की प्रकिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–1314 / दस–59(एम) / 2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी 2006 से अनुमन्य करायी गयी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–1318 / दस–59(एम) / 2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 द्वारा की गयी थी। उक्त क्रम में भारत सरकार के सादृश्य पर वेतन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू0 22400–24500 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4 (रू0 37400–67000) एवं ग्रेड वेतन रू0 12000 के स्थान पर एच0ए0जी0 वेतनमान रू0 67000–वार्षिक वेतनवृद्धि–3 प्रतिशत की दर से–79000 स्वीकृत किये जाने एवं इस वेतनमान में वेतन निर्धारण उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के अनुसार किये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–287 / दस–59(एम) / 08, दिनांक 16 मार्च 2010 द्वारा लिया गया।

2– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के प्रस्तर–11 में पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन के पद पर पदोन्नति होने की स्थिति में वेतन निर्धारण की व्यवस्था वर्णित है, परन्तु ग्रेड वेतन रू0 10000 के पद के पदधारकों की पदोन्नति एच0ए0जी0 वेतनमान रू0 67000–वार्षिक वेतनवृद्धि–3 प्रतिशत की दर से–79000 में होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है।

3– उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रेड वेतन रू0 10000 के पद के पदधारकों की पदोन्नति एच0ए0जी0 वेतनमान रू0 67000–वार्षिक वेतनवृद्धि–3 प्रतिशत की दर से–79000 में होने पर उनका वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

"वेतन बैण्ड–4 में बैण्ड वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 के गुणांक में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रुप में आगणित किया जायेगा। इस प्रकार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड–4 में प्राप्त वर्तमान वेतन (बैण्ड वेतन तथा ग्रेड वेतन का योग) में जोड दी जायेगी। इस प्रकार आगणित धनराशि में रू0 2000 / – की धनराशि जोड़ते हुए एच0ए0जी0 वेतनमान में सम्बन्धित का

वेतन इस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित किया जायेगा कि उक्त निर्धारित वेतन किसी भी दशा में रु0 67000 से कम नहीं होगा परन्तु एच0ए0जी0 वेतनमान के अधिकतम् रु0 79000 से अधिक नहीं होगा।"

4— उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर 2008 एवं इस कम में निर्गत अन्य सम्बन्धित शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–567 (1)/दस–59(एम)/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार लेखा एवं हकदारी–I एवं II तथा आडिट– I एवं II, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
5— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
6— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।